

**न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)**  
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झाड़)

**R.C.A. 02/2017**

Filling No- RCA/41/2017

CNR-mp50050001032017

संस्थित दिनांक - 19.11.2016

नैनसिंह पिता गुहारसिंह उम्र करीब 50 वर्ष जाति गोंड

निवासी-ग्राम धोपघट तहसील बिरसा जिला बालाघाट - मृत

1- राजाबाई आयु 47 वर्ष पति नैनसिंह

2- जयप्रकाश आयु 34 वर्ष पिता नैनसिंह

3- ब्रम्हा आयु 28 वर्ष पिता नैनसिंह

4- बिसुन आयु 24 वर्ष पिता नैनसिंह

5- कान्ताप्रसाद आयु 18 वर्ष पिता नैनसिंह

6- गुलाब आयु 40 वर्ष पिता गुहासिंह

7- रासबत्तीबाई आयु 70 वर्ष पति गुहासिंह

सभी निवासी-ग्राम धोपघट तहसील बिरसा

जिला बालाघाट म0प्र0

**अपीलार्थीगण**

**// विरुद्ध //**

1. सम्मे उम्र 42 वर्ष पिता पुसू जाति गोंड

2. डोंगर उम्र 47 वर्ष पिता पुसू जाति गोंड

दोनों निवासी-ग्राम धोपघट तहसील बिरसा

जिला बालाघाट म0प्र0

**उत्तरवादीगण**

{न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर तत्कालीन  
पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश शुक्ला द्वारा व्य. वाद क.  
01ए/2016, राजाबाई वगैरह बनाम सम्मे अन्य 1 में पारित  
निर्णय दिनांक 20.10.2016 से क्षुब्ध होकर धारा 96 व्य.प्र.सं.  
के तहत यह अपील पेश की है}

श्री वाय.आर. चौधरी अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री अब्दुल समीर कुरैशी अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी कमांक-1, 2

**- // // निर्णय // // -**

(आज दिनांक 10 अक्टूबर 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश शुक्ला द्वारा व्य.वा.क. 01ए/2016, राजाबाई वगैरह बनाम सम्मे अन्य एक में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.2016 से क्षुब्ध होकर पेश की है, का निराकरण किया जा रहा है।

2. पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि उभयपक्ष ग्राम धोपघट के निवासी हैं।

3. अपीलार्थीगण/वादीगण के वाद का सार यह है कि नैनसिंह ने प्रतिवादीगण को ग्राम धोपघट प.ह.न. खुर्सीपार, रा.नि.मं. 2 दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित ख.क्र. 46 रकबा 0.308 हेक्टे. पर बने हुए मकानों में से 2 ब्लॉक प्रतिवादीगण द्वारा किराए से प्रदान किए जाने हेतु मांग किए जाने पर 50/-रु. 50/-रु. प्रतिमाह कुल 100/-मासिक दर से किराया राशि तय होने पर उक्त ख.क्र. पर बने हुए 2 ब्लॉक को मौखिक करार पर किराए पर दिया। प्रतिवादीगण ने अप्रैल 2012 तक नियमित किराया अदा किया। तत्पश्चात 1 मई 2012 से किराया देना बंद कर दिया। वादी ने अपने अधिवक्ता श्री वाय.आर. चौधरी के माध्यम से मांग सूचना पत्र दिनांक 04.10.13 को प्रेषित किया, किराएदारी समाप्ति की सूचना दी कि किराएदारी दिनांक 31.10.13 की मध्यरात्रि में समाप्त की जाती है। नोटिस तामील होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण ने भवन रिक्त कर आधिपत्य नहीं सौंपा शेष किराया 1700/-रु. अदा नहीं किया, 600/-रु. नोटिस व्यय अदा नहीं किया। दिनांक 01.11.13 को भवन रिक्त न किए जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। कुल मूल्यांकन 3500/-रु. कर 350/-रु. न्यायालय शुल्क अदा है, सूची अनुसार दस्तावेज पेश है। वाद समरूप प्रति में पेश किया गया है, मानचित्र संलग्न है और याचना की है कि ख.क्र. 46 रकबा 76 डिसमिल में स्थित मकान के दोनों ब्लॉक जो संलग्न मानचित्र में क, ख, ग, घ से लाल स्याही से दर्शित हैं, का रिक्त आधिपत्य दिलाया जावे, कब्जा दिए जाने तक 20/-रु. प्रतिदिन नुकसानी दिलाई जावे।

4. प्रतिवादीगण ने संयुक्त वादोत्तर पेश कर वादपत्र के प्रत्येक कंडिका में लेख अभिवचनों को झूठा, मनगढ़ंत, असत्य बनावटी होना लेख करते हुए अस्वीकार किया है। विशेष कथन करते हुए पद क्रमांक 12 लगायत 20 में लेख किया है कि ग्राम धोपघट प.ह.न. 38 रा.नि.मं. दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित ख.क्र. 47/1 रकबा 5 डिसमिल भूमि प्रतिवादीगण के हक स्वामित्व व कब्जे की है जिस पर प्रतिवादीगण का मकान बना हुआ है जिसमें वे अपने दादा के जमाने से रहते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादी से मकान किराए से नहीं लिया है, किराएदार नहीं है। वादी वादग्रस्त मकान को अपना बताकर प्रतिवादीगण का मकान, भूमि हड़पना

चाहते हैं, झूठा दावा पेश किया है, इसलिए 15000/-रुपया क्षतिपूरक व्यय दिलाया जाकर वाद निरस्त किए जाने की याचना की है।

5. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया है, अभिलेख पर आयी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर सही निष्कर्ष नहीं निकाला है, आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को विचारण न्यायालय ने निरस्त कर त्रुटि की है, 1996 रेवेन्यू निर्णय 340, 1995 रेवेन्यू निर्णय 363 तथा 1998 रेवेन्यू निर्णय 211 को अपने निर्णय में विचार में न लेकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। वादप्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 पर सही निष्कर्ष अंकित नहीं किए हैं, पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त कर अपील स्वीकार की जाकर दावा डिक्री किए जाने की याचना की है।

6. अपील के निराकरण हेतु अधोलिखित प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

अ- क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने व्यवहार वाद क्र. 01ए/2016 राजाबाई वगैरह बनाम सम्मे व अन्य एक के वाद में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 20.10.2016 में अशुद्धता होने, तथ्य विषयक त्रुटि होने एवं विधि की त्रुटि होने एवं साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

#### विचारणीय प्रश्न का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

7. नैनसिंह (वा.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत अपना मुख्य कथन दिनांक 01.08.2014 को पेश किया है। दिनांक 21.08.14 को वादी को शपथ दिलाकर मुख्य कथन के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर. 2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। अतः मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है।

8. नैनसिंह (वा.सा.1) ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिनांक 21.08.2014 को पद क्रमांक 10 में साक्ष्य लेकर कराकर प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 6 के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया है। वादी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 13 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पेश वाद के मानचित्र में कितने डिसमिल भाग पर मकान बना है, का उल्लेख नहीं किया है। यह स्वीकार किया है कि वादपत्र में कितने डिसमिल भूमि पर मकान बना है, का

उल्लेख नहीं किया है। यह स्वीकार किया है कि ख.क. 46 रकबा 76 डिसमिल भूमि के पूर्ण भाग पर मकान नहीं बना है, स्वतः कहा कुछ हिस्सा खाली है। यह स्वीकार किया है कि दावे में कितनी भूमि पर बने रकबे के मकान का कब्जा प्रतिवादीगण से मांगा है, का उल्लेख दावे में नहीं किया है।

9. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 14 में स्वीकार किया है कि उसने वाद में भवन कर की रसीद पेश नहीं की है। वह ग्राम धोपघट के पटेलटोला में जहाँ रहता है वहाँ का भवन कर देता है। यह स्वीकार किया है कि मकान किराए पर देने की लिखापढी होती है। स्वतः कहा गांव का आदमी होने के कारण लिखापढी नहीं की। यह इंकार किया है कि प्रतिवादीगण स्वयं के मकान में रहते हैं। पद क्रमांक 15 में स्वीकार किया है कि सावित्री साक्षी के रिश्ते में भाभी लगती है, उसका पति फौत हो चुका है उसके पति के फौत होने के बाद साक्षी ने सावित्री को अपना लिया है। यह स्वीकार किया है कि सावित्री के साथ प्रतिवादीगण का जमीनी विवाद है।

10. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण ग्राम धोपघट के इमलीटोला में उनके आज्ञा परदेशी के जमाने से रहते चले आ रहे हैं। यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण के मकान ग्राम इमलीटोला में बने हुए हैं जिसमें प्रतिवादीगण अपने परिवार सहित रहते हैं।

11. बेदलाल (वा.सा.2) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन पेश किया है किंतु मुख्य कथन के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर. 2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। अतः मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पद क्रमांक 8 में यह स्वीकार किया है कि विवादित ख.क. 46 रकबा 76 डिसमिल भूमि का विभाजन नैनसिंह, गुलाब, रामवतिबाई के बीच नहीं हुआ है। यह इंकार किया है कि इमलीटोला में स्थित विवादित मकान लगभग 100 वर्ष पुराना है। स्वतः कहा कि 9 वर्ष पूर्व बना है। यह स्वीकार किया है कि वह सावित्री का लड़का है। यह स्वीकार किया है कि साक्षी के साथ और सावित्री के साथ प्रतिवादीगण का भूमि का विवाद चल रहा है। यह स्वीकार किया है कि नैनसिंह ने सावित्री को अपना लिया है। इस कारण नैनसिंह साक्षी के सौतेले पिता है।

12. पद क्रमांक 9 में स्वीकार किया है कि ग्राम धोपघट इमलीटोला में खानदानी भूमि है। यह जानकारी नहीं है कि 5-5 डिसमिल भूमि नंदलाल



और गेलू को मिली है और उस पर वे मकान बनाकर रह रहे हैं। पद क्रमांक 10 में स्वीकार किया है कि साक्षी को नैनसिंह के मकान उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस तरफ है नहीं मालूम।

13. गुलाब (वा.सा.3) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन पेश किया है मुख्य कथन के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर. 2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। अतः मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के कथन में कोई सार्थक साक्ष्य नहीं है, इसलिए लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

14. नंदलाल (प्रति.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन पेश किया है मुख्य कथन के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर. 2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। अतः मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के कथन में कोई सार्थक साक्ष्य नहीं है, इसलिए लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। शेष मुख्य कथन के पद क्रमांक 8 में प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 15 के दस्तावेजों को प्रदर्श चिन्हित किया है तथा प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 9 लगायत 12 में इस साक्षी का रहवासी मकान वादी का होना इंकार किया है। साक्षी मृत वादी का किराएदार होना इंकार किया है उसके आवास वाला मकान ख.क्र. 46 में होना इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में वादी के दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है, 17 माह का 1700/-रुपया किराया शेष होना इंकार किया है।

15. रमेश (प्रति.सा.2) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन पेश किया है मुख्य कथन के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर. 2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। अतः मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है। मुख्य कथन के पद क्रमांक 8 में ग्राम पंचायत खुर्सीपार के सरपंच सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र को प्र.डी. 8 से प्रदर्श अंकित कराया है जिसके सत्यापन बाबद स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में वादी के वाद को सहायता करने वाली साक्ष्य का अभाव है।

16. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। उत्तरवादी द्वारा पेश लिखित तर्क का अध्ययन कर विचार में लिया गया।

17. वादी/अपीलार्थी पक्ष का आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन निरस्त हो जाने पर उभयपक्ष की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अंतिम तर्क के पूर्व आदेश 18 नियम 18 सीपीसी का आवेदन वादी/अपीलार्थी ने पेश कर विद्वान विचारण न्यायालय को स्थल निरीक्षण हेतु ले जाकर किस पक्ष की अर्थात् वादी पक्ष की अथवा प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य मौके के आधार पर सही है, को देखा जाना चाहिए था तथा ऐसा दिखवाकर निर्णय प्राप्त करना चाहिए था जो अपीलार्थी/वादी पक्ष की त्रुटि है।

18. अभिलेख के आधार पर यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त मकान का भवन कर संबंधित ग्राम पंचायत में वादी/अपीलार्थी ने अदा नहीं किया है अथवा मूल वादी के वारसानों ने जो कि अपीलार्थीगण है, ने अदा नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि मृत वादी ने प्रतिवादीगण/उत्तरवादीगण को भवन किराए पर दिया था यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है। अतः मृत वादी नैनसिंह के वारसानों के पक्ष में विद्वान विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री न कर विधि की, तथ्य की अथवा दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन की त्रुटि नहीं की है।

19. परिणामतः प्रश्नाधीन निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 20.10.2016 में हस्तक्षेप किए जाने की विधिक आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 20.10.2016 की पुष्टि की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थीगण वहन करेंगे।

{ब} तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

{स} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित।

Sd/-

Sd/-

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

**DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE**

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. 02 OF 2017

IN THE COURT OF माखनलाल शोड़ द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,  
बालाघाट {म.प्र.}

नैनसिंह पिता गुहारसिंह उम्र करीब 50 वर्ष जाति गोंड

निवासी-ग्राम धोपघट तहसील बिरसा जिला बालाघाट – मृत

- 1- राजाबाई आयु 47 वर्ष पति नैनसिंह 2-जयप्रकाश पिता नैनसिंह  
 3- ब्रम्हा आयु 28 वर्ष पिता नैनसिंह 4- बिसुन पिता नैनसिंह  
 5- कान्ताप्रसाद आयु 18 वर्ष पिता नैनसिंह 6-गुलाब पिता गुहासिंह  
 7- रामबत्तीबाई आयु 70 वर्ष पति गुहासिंह सभी निवासी-ग्राम  
 धापेघट तहसील बिरसा जिला बालाघाट- – अपीलार्थीगण

// विरुद्ध //

1. सम्मे उम्र 42 वर्ष पिता पुसू जाति गोंड  
 2. डोंगर उम्र 47 वर्ष पिता पुसू जाति गोंड  
 दोनों निवासी-ग्राम धोपघट तहसील बिरसा  
 जिला बालाघाट म0प्र0 – – – – – उत्तरवादीगण

=====

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर dated the..20-10-2017...day ....Civil Suit No. 01A... of 2016.

This appeal coming on for hearing on the 09-10-2017 day of before me in the presence of ----

श्री वाय.आर. चौधरी अधिवक्ता for the appellant and of

श्री अब्दुल समीर कुरैशी अधिवक्ता for the respondent No. 1, 2

It is ordered and decreed that

प्रश्नाधीन निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 20.06.2016 में हस्तक्षेप किए जाने की विधिक आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 20.06.2016 की पुष्टि की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थीगण वहन करेंगे।

{ब} तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

{स} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 60/- are to be Paid by the **appellants**.

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this.. **10 day of Oct.2017.**

Sd/-

(माखनलाल झोड़)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

### COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	360.00	Stamp for Power	10.00
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Petition	-
3.	Stamp for Exhibits		Service of Processes	-
4.	Service of Processes	10.00	Pleader's fee on Rs. .... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	50.00
5.	Pleader's Fee on Rs..... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	50.00		
6.	Application	10.00		
	<b>Total :-</b>	440.00	<b>Total :-</b>	60.00
( चार सौ चालिस रुपये सिर्फ )			( साठ रुपये सिर्फ )	

Sd/-

(माखनलाल झोड़)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर